



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 8 बजट (1) 29/2025-169/वि०

दिनांक- 26/02/2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या 02, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 106 अन्य पशुधन विकास, 0215 एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना (अन्य अवयव), विपत्र कोड 02-2403001060215 के अन्तर्गत कुल ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय राज्यादेश संख्या 4342 दिनांक 03.10.2025 के आलोक में निम्न तालिका के अनुसार कुल ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विषय शीर्ष	विपत्र कोड	कुल आवंटित
		02-2403001060215 (केन्द्रांश 100%)	राशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	31.06- सहायक अनुदान-गैरवेतन	5,00,000	5,00,000
कुल योग:-		5,00,000	5,00,000

(पाँच लाख) मात्र।

2- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या 02, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 106 अन्य पशुधन विकास, 0215 एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना (अन्य अवयव), विपत्र कोड 02-2403001060215 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3- यह आवंटन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "पशुधन गणना एवं एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण अन्तर्गत एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण की योजना" के तहत राज्य में दुग्ध, अंडा, मांस एवं ऊन उत्पादन का अनुमान लगाने की योजना हेतु दिया जा रहा है।

4- वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 227/वि०, दिनांक 28.03.2025 एवं पत्रांक- 235/वि०, दिनांक 01.04.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक भेजा जाय।

5- जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं० - 8 बजट (1) 29/2025.....169 (वि०) आ०

पटना-15, दिनांक 26/02 / 2026

प्रतिलिपि- उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या टी० ए० -57-96-97 प०पा० -9 -46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में/उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार को उनके पत्रांक एम०-405/98 पार्ट -3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा-09, योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।